न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – मनमोहन मीणा , आर.ए.एस.

मुकदमा नंबरः– 211/2023 प्रार्थनापत्र

अनवान

01. मैसर्स चावंडा ग्रेनाईट 1 कृष्णा कृषि फार्म चिताम्बा जरिऐ महेन्द्र पुत्र सुखलाल गुर्जर निवासी चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
02. मैसर्स चावंडा ग्रेनाईट 1 कृष्णा कृषि फार्म चिताम्बा जरिऐ हरजीराम पुत्र सोराम गुर्जर निवासी रलायता तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
03. मैसर्स चावंडा ग्रेनाईट 1 कृष्णा कृषि फार्म चिताम्बा जरिऐ जगदीशचन्द्र पुत्र धन्नालाल गुर्जर निवासी मेवासा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
04. मैसर्स चावंडा ग्रेनाईट 1 कृष्णा कृषि फार्म चिताम्बा जरिऐ मंदरूप पुत्र हीरालाल गुर्जर निवासी मेवासा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपस्थित

01.श्री मनोहरलालसेन — अधिवक्ता प्रार्थी

02.परोकार सरकार — अधिवक्ता विपक्षी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय :: दिनांकः–28.02.2024

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया कि सरहद रलायता पटवार हल्का चिताम्बा तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा के आराजी नं0 152 कुल किता 1 रकबा 0.5900 है0 भूमि स्थित होकर प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड़ है। प्रार्थी को उक्त वर्णित आराजियात में आने जाने का एक मात्र रास्ता जो कि बिलानाम सरकार खाता सं0 1 के आ0नं0 182, में होकर प्रार्थीगण कृषि कार्य हेतु आते जाते हैं जिसमें प्रार्थी अपनी बेलगाड़ी, संज ट्रैक्टर इत्यादि अपने पूर्वजों के समय से लाता लेजाता है जो गाड़ी गडार रास्ता बना हुआ है । उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 में आने–जाने हेतु और कोई रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड़ नक्शें में दर्ज नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर सरहद चिताम्बा पटवार हल्का चिताम्बा तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा के के आराजी नं0 152 कुल किता 1 रकबा 0.5900 है0 भूमि में आने–जाने हेतु बिलानाम सरकार खाता सं0 1 के आ0नं0 181, में होकर में नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे तथा कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड़ (नक्शें) में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि के लिए प्रार्थी सदैव तैयार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manmohan Meena
Date: 2024.03.06 12:03:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को कार्यवाई हेतु नोटिस जारी किए गए। नियत दिनांक 20.02..2024 को विपक्षी संख्या 01 उपस्थित। भू0अभिलेख निरीक्षक चिताम्बा से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल फाईल किया गया। विपक्षी संख्या 01 उपस्थित होकर मोका रिपोर्ट को ही अपना जवाब होना बताया साथ हीप्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नही की।

प्रकरण मे तहसीलदार करेडा से मोका रिपोर्ट प्राप्त की गई मोका रिपोर्ट अनुसार ग्राम रलायता के खसरा नम्बर 181 रकबा 1.7500 है0 बिलानाम सरकार भुमि मे से 30 फिट चौडा रास्ता प्रार्थीगण की आ0 नं0

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

152 मे आने जाने हेतु प्रस्तावित है प्रस्तावित रास्ता का रकबा 0.430 है0 यानी 30 गुना 155 फिट बनता है जिसे तहसीलदार करेडा की मोका रिपोर्ट अनुसार दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 से मौका रिपोर्ट अनुसार जितनी भूमि प्रार्थी रास्ते के रूप में प्राप्त करता है उतने ही रकबा की वर्तमान मे प्रचलित डी.एल.सी. दर की दो गुना राशी प्रार्थी विपक्षी संख्या 01 को देता है तो विपक्षी संख्या 01 उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने पर सहमत है। अतः प्रार्थी व विपक्षी संख्या 01 के सहमत होने से उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सरहद रलायता पटवार हल्का चिताम्बा तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा के आराजी नं0 152 कुल किता 1 रकबा 0.5900 है0 भूमि में आने–जाने हेतु बिलानाम सरकार खाता सं0 1 के आ0नं0 181 में से होकर आने–जाने का एकमात्र रास्ता होने से मौका रिपोर्ट अनुसार 30 फीट चौड़ाई का रास्ता राजस्व रेकार्ड़ में सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने एवं उसी अनुसार राजस्व नक्शें में तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार करेड़ा बिलानाम आ0नं0 181 रकबा 1.7500 हैक्टर में से 0.0430 हैक्टर कुल किता 01 रकबा 0.0430 हैक्टर भूमि यानी 30 गुना 155 फिट के वर्तमान मे प्रचलित डी.एल.सी. दर की दो गुना राशी प्रार्थी से प्राप्त कर राजकोश मे जमा करा मौके पर उक्तानुसार रास्ते का राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शें में, संलग्न नक्शे में प्रस्तावित तरमीम अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करावें तद्नुसार तहसीलदार करेड़ा को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

(मनमोहन मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Manmohan Meena
Date: 2024.03.06 12:03:45 IST
Reason: SelfAttested